



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-09092026-276078
CG-MH-E-09092026-276078

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4723]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5, 2026/भाद्र 14, 1948

No. 4723]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5, 2026/BHADRA 14, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 4 सितम्बर, 2026

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 741 दिनांक 06.02.2026 के संबंध में, नीचे उल्लिखित

अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

रेलवे अधिनियम 1989 (24 of 1989) की धारा 7A के तहत

का.आ. 4912(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (7 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी, “दौंड-सोलापुर: रेलवे किमी 387/3-4 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 40, रेलवे किमी 391/8-9 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 42 और रेलवे किमी 477/3-4 पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 61 के स्थान पर आरओबी का निर्माण” की विशेष रेल परियोजना के भूमि अधिग्रहण करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिला में निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और संचालन के लोक प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी

क्र. सं.	सक्षम प्राधिकारी भूसंपादन	लेवल क्रॉसिंग संख्या	तालुका	गांव
1.	उपविभागीय अधिकारी माढा विभाग कुर्डुवाडी	40	माढा	माढा, वडशिगे
2.		42	माढा	महातपुर
3.	उपविभागीय अधिकारी सोलापूर क्र. २ सोलापूर	61	दक्षिण सोलापूर	आलेगांव व आचेगांव

[फा. सं. G197/DD-SUR/RSP/LC No.40,42 & 61/7A/Corrigendum-II]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

[Central Railway]

CORRIGENDUM

Mumbai, 4th September 2026

(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO. 741 DATED 06.02.2026, THE SCHEDULE MENTIONED BELOW SHOULD BE TREATED AS CORRECTED DETAILS IN PREVIOUS NOTIFICATION)

Under clause 7A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 4912(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby authorize the officer mentioned in column of the table below as “**Competent Authority**” to perform the functions as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette in respect of the special railway project “**Daund-Solapur: - Construction of ROB in lieu of Level Crossings No. 40 at Railway Km. 387/3-4, Level Crossing No. 42 at Railway Km 391/8-9 & Level Crossing No. 61 at Railway Km 477/3-4**” Daund-Solapur Section in Solapur District mentioned in Column of the said table for the public purpose of execution maintenance, Management and operation of such special Railway Project.

TABLE

S.N.	Competent authority land acquisition	LC No.	Taluka	Village
1.	Sub-Divisional Officer Madha Division Kurduwadi	40	Madha	Madha, Wadsinge,
2.		42	Madha	Mahatpur
3.	Sub-Divisional Officer No. 2, Solapur	61	South Solapur	Alegaon, Achegaon

[F.No. G197/DD-SUR/RSP/LC No.40,42 & 61/7A/Corrigendum-II]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)